

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एसीपी-1142/2017/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14(88)वित्त(नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में श्री राजकुमार शर्मा, लेब टेक्नीशियन, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बामनवास, सवाईमाधोपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 27.01.1995 है को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 27.01.2013 से एसीपी पे बेण्ड 9300-34800 व ग्रेड पे 3600 स्वीकृत किया जाता है।


उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

— ४३ —
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर
दिनांक : 10.4.17

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एसीपी-1142/2017/268

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बामनवास, सवाईमाधोपुर।
3. श्री राजकुमार शर्मा, लेब टेक्नीशियन को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर डलवाने की व्यवस्था करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर